

पत्रांक-14/31.1-05/2015.../1043.....

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2, कम्यूनिटी सेन्टर,
ग्रीत विहार, विकास मार्ग,
नई दिल्ली-110092

रांची, दिनांक 26/06/2015

विषय:-

नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, राखा माइन्स, हुरकू, जादुगोड़ा, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, राखा माइन्स, हुरकू, जादुगोड़ा, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर से प्राप्त आवेदन (छायाप्रति संलग्न) पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने इस विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-671 दिनांक-16.03.2012 के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है:- :

- (i) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र सैद्धान्तिक होगा तथा सी0बी0एस0ई0 अपने निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यालय का निरीक्षण करेंगे एवं अपने निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही विद्यालय को अपनी सम्बद्धता प्रदान करेंगे।
- (ii) विद्यालय प्रबंधन को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 एवं इससे संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार/मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्गत नियमावली अथवा दिशा-निदेशों का पूर्णतः विधि सम्मत अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय-समय पर आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय का पर्यवेक्षण कर सकेंगे कि विद्यालय द्वारा उक्त निर्धारित मापदण्डों का विधि सम्मत अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।
- (iv) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदित विद्यालयों को इनसे संबंधित बोर्ड द्वारा निर्गत नियमावली में निर्धारित अर्हता एवं उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन करने पर विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार का होगा। ऐसी स्थिति में इस आशय की सूचना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी दी जायेगी।

विश्वासभाजन,

अनुलनक-यथोक्त।

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

ज्ञापांक-14/31.1-05/2015.../1043...../रांची, दिनांक 26/06/2015..

प्रतिलिपि:- मानवीय विभागीय मंत्री के आपत सचिव/विभागीय सचिव के सचिव/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सौन्थलान प्रमंडल, चार्बासा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

NETAJI SUSHAS PUBLIC SCHOOL
AFFILIATED TO CBSE, NEW DELHI
पर्याप्त नियमों के साथ संतुष्टि से दिया गया है।
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड रांची।

Sriwati Devi ji, Baridih Basti, Sambalpur
New Regd. No.: 460/2018-19
Old Regd. No.: 209/96-97